

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

मांग संख्या 89

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	4699.95	84.31	4784.26	5615.00	93.30	5708.30	4809.35	93.20	4902.55	6320.00	100.32	6420.32	
पूँजी	245.00	...	245.00	300.00	...	300.00	202.65	...	202.65	305.00	...	305.00	
जोड़	4944.95	84.31	5029.26	5915.00	93.30	6008.30	5012.00	93.20	5105.20	6625.00	100.32	6725.32	
1. सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	2251	1.00	23.08	24.08	1.00	24.97	25.97	1.48	27.17	28.65	2.00	28.73	30.73
2. विवेकाधीन अनुदान	2013	0.06	0.06	...	0.04	0.04	...	0.06	0.06
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण													
अनुसूचित जातियों का कल्याण													
3. अनुसूचित जातियों के उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	2225	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	3601	656.40	...	656.40	1174.00	...	1174.00	1026.00	...	1026.00	1028.00	...	1028.00
	3602	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़		656.40	...	656.40	1176.00	...	1176.00	1028.00	...	1028.00	1030.00	...	1030.00
4. मेट्रोकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	2225	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00
	3601	2697.34	...	2697.34	1468.00	...	1468.00	1457.50	...	1457.50	1468.00	...	1468.00
	3602	13.85	...	13.85	1.00	...	1.00	4.00	...	4.00	1.00	...	1.00
जोड़		2711.19	...	2711.19	1470.00	...	1470.00	1462.00	...	1462.00	1470.00	...	1470.00
5. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए तंत्र	2225	0.81	...	0.81	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	3601	70.44	...	70.44	96.00	...	96.00	80.00	...	80.00	86.00	...	86.00
	3602	0.81	...	0.81	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़		72.06	...	72.06	98.00	...	98.00	82.00	...	82.00	88.00	...	88.00
6. बालिका छात्रावास	2225	4.00	...	4.00	13.00	...	13.00	2.00	...	2.00	8.00	...	8.00
	3601	34.31	...	34.31	79.00	...	79.00	11.00	...	11.00	40.00	...	40.00
	3602	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00
जोड़		38.31	...	38.31	93.00	...	93.00	13.50	...	13.50	49.00	...	49.00
7. लड़कों के लिए छात्रावास	2225	3.60	...	3.60	15.00	...	15.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	3601	24.00	...	24.00	32.00	...	32.00	9.00	...	9.00	20.50	...	20.50
	3602	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00
	जोड़	27.60	...	27.60	48.00	...	48.00	12.50	...	12.50	24.50	...	24.50
8. अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों हेतु मेट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	2225
	3601	63.65	...	63.65	10.00	...	10.00	9.00	...	9.00	9.50	...	9.50
	3602
	जोड़	63.65	...	63.65	10.00	...	10.00	9.00	...	9.00	9.50	...	9.50
9. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मेट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	3601	805.50	...	805.50	929.00	...	929.00	882.00	...	882.00
10. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2225	19.35	...	19.35	49.00	...	49.00	14.50	...	14.50	27.50	...	27.50
11. राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2225	103.69	...	103.69	123.00	...	123.00	24.00	...	24.00	98.00	...	98.00
12. उच्च स्तरीय शिक्षा	2225	14.82	...	14.82	24.00	...	24.00	14.50	...	14.50	20.00	...	20.00
13. सफाई कर्मचारियों के उद्धार और पुनर्वास की स्वरोजगार योजना	2225	98.00	...	98.00	20.00	...	20.00	557.00	...	557.00
14. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	3601	100.00	...	100.00	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	100.00	...	100.00
15. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम	2225	8.07	13.56	21.63	33.00	15.62	48.62	9.02	14.33	23.35	33.00	15.68	48.68
	3601	2.91	...	2.91	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
	जोड़	10.98	13.56	24.54	38.00	15.62	53.62	14.02	14.33	28.35	38.00	15.68	53.68
जोड़-अनुसूचित जातियों का कल्याण पिछड़े वर्गों का कल्याण		3818.05	13.56	3831.61	4033.50	15.62	4049.12	3623.03	14.33	3637.36	4393.50	15.68	4409.18
16. मेट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	2225	0.11	...	0.11	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	3601	39.99	...	39.99	43.00	...	43.00	43.00	...	43.00	133.00	...	133.00
	3602	0.59	...	0.59	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	40.69	...	40.69	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00	135.00	...	135.00
17. मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2225	0.03	...	0.03	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	3601	527.03	...	527.03	560.00	...	560.00	645.29	...	645.29	808.00	...	808.00
	3602	0.93	...	0.93	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	527.99	...	527.99	562.00	...	562.00	647.29	...	647.29	810.00	...	810.00
18. छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास	2225	4.20	...	4.20	3.00	...	3.00	9.00	...	9.00	10.00	...	10.00
	3601	11.87	...	11.87	36.50	...	36.50	4.00	...	4.00	29.50	...	29.50
	3602	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	जोड़	16.07	...	16.07	40.00	...	40.00	13.50	...	13.50	40.00	...	40.00
19. अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2225	45.00	...	45.00	0.01	...	0.01	5.00	...	5.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
20. अन्य कार्यक्रम	2225	3.08	2.44	5.52	9.50	3.30	12.80	1.36	2.90	4.26	9.00	3.30	12.30
3601	18.00	...	18.00	0.02	...	0.02	8.00	...	8.00
जोड़	3.08	2.44	5.52	27.50	3.30	30.80	1.38	2.90	4.28	17.00	3.30	20.30	
जोड़-पिछड़े वर्गों का कल्याण	587.83	2.44	590.27	719.50	3.30	722.80	707.18	2.90	710.08	1007.00	3.30	1010.30	
21. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए सांझा कार्यक्रम	2225	4.90	...	4.90	9.98	...	9.98	5.38	...	5.38	10.48	...	10.48
3601	1.00	...	1.00	0.10	...	0.10	1.00	...	1.00
3602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
जोड़	4.90	...	4.90	11.00	...	11.00	5.50	...	5.50	11.50	...	11.50	
जोड़-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4410.78	16.00	4426.78	4764.00	18.92	4782.92	4335.71	17.23	4352.94	5412.00	18.98	5430.98	
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण													
विकलांगों का कल्याण													
22. दीनदयाल अपंग व्यक्ति पुनर्वास योजना	2235	86.16	...	86.16	103.00	...	103.00	66.00	...	66.00	106.85	...	106.85
23. राष्ट्रीय अंध, बधिर, मानसिक विक्रम, अस्थि विकलांग संस्थान	2235	65.86	41.77	107.63	78.00	43.38	121.38	58.78	43.61	102.39	77.00	46.50	123.50
24. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक अंग और उपकरण	2235	75.99	...	75.99	88.00	...	88.00	66.30	...	66.30	96.00	...	96.00
25. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम के क्रियान्वयन की योजनाएं	2235	20.42	...	20.42	20.00	...	20.00	14.00	...	14.00	25.00	...	25.00
3601	14.49	...	14.49	75.00	...	75.00	4.00	...	4.00	74.00	...	74.00	
जोड़	34.91	...	34.91	95.00	...	95.00	18.00	...	18.00	99.00	...	99.00	
26. शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए रोजगार योजना	2235	0.50	...	0.50	4.00	...	4.00	0.50	...	0.50	4.00	...	4.00
27. निशक्तताग्रस्त छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	3601	30.00	...	30.00	0.01	...	0.01	30.00	...	30.00
28. विकलांगों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम	2235	3.59	2.27	5.86	26.00	3.72	29.72	5.53	3.14	8.67	60.15	3.75	63.90
3601
जोड़	3.59	2.27	5.86	26.00	3.72	29.72	5.53	3.14	8.67	60.15	3.75	63.90	
जोड़-विकलांगों का कल्याण	267.01	44.04	311.05	424.00	47.10	471.10	215.12	46.75	261.87	473.00	50.25	523.25	
सामाजिक कल्याण													
29. द्विपक्षीय करारों के अधीन वस्तु सहायता पर वितरण व्यय	2235	1.00	1.00	...	0.90	0.90	...	0.95	0.95
30. मद्य निषेध और नशीले पदार्थों पर रोक हेतु शिक्षा कार्य	2235	35.33	...	35.33	35.00	...	35.00	15.00	...	15.00	40.00	...	40.00
31. वृद्धाश्रमों आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2235	19.99	...	19.99	36.00	...	36.00	16.00	...	16.00	40.00	...	40.00
32. निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों का निर्माण	2235	5.00	...	5.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014				
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़		
3601	67.00	...	67.00	0.01	...	0.01		
जोड़	72.00	...	72.00	0.01	...	0.01		
33. अन्य कार्यक्रम	2235	30.60	1.25	31.85	49.00	1.25	50.25	35.50	1.11	36.61	79.10	1.35	80.45	
जोड़-सामाज कल्याण		85.92	1.25	87.17	192.00	2.25	194.25	66.51	2.01	68.52	159.10	2.30	161.40	
जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		352.93	45.29	398.22	616.00	49.35	665.35	281.63	48.76	330.39	632.10	52.55	684.65	
34. सरकारी उद्यमों में निवेश	4225	220.00	...	220.00	259.00	...	259.00	180.65	...	180.65	257.00	...	257.00	
	4235	25.00	...	25.00	27.00	...	27.00	20.00	...	20.00	31.00	...	31.00	
जोड़		245.00	...	245.00	286.00	...	286.00	200.65	...	200.65	288.00	...	288.00	
35. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ की परियोजना/स्कीम के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	234.00	...	234.00	190.53	...	190.53	273.90	...	273.90	
	4552	14.00	...	14.00	2.00	...	2.00	17.00	...	17.00	
जोड़		248.00	...	248.00	192.53	...	192.53	290.90	...	290.90	
36. वास्तविक वसूलियां	2225	-60.37	...	-60.37	
	2235	-2.81	...	-2.81	
	2251	...	-0.06	-0.06	
	3601	-1.58	...	-1.58	
जोड़		-64.76	-0.06	-64.82	
कुल जोड़		4944.95	84.31	5029.26	5915.00	93.30	6008.30	5012.00	93.20	5105.20	6625.00	100.32	6725.32	
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़		
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश														
34.01	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम को शेयर पूंजी	22225	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	5.00	...	5.00	20.00	...	20.00
34.02	राष्ट्रीय विकलांग एवं वित्त एवं विकास निगम	22235	25.00	...	25.00	27.00	...	27.00	20.00	...	20.00	31.00	...	31.00
34.03	राष्ट्रीय कमजोर वर्ग वित्त और विकास निगम	22225	200.00	...	200.00	239.00	...	239.00	175.65	...	175.65	237.00	...	237.00
जोड़		245.00	...	245.00	286.00	...	286.00	200.65	...	200.65	288.00	...	288.00	
ग. योजना परिव्यय														
1.	सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.48	...	1.48	2.00	...	2.00
2.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	22225	4568.83	...	4568.83	5023.00	...	5023.00	4516.36	...	4516.36	5669.00	...	5669.00
3.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	22235	375.12	...	375.12	643.00	...	643.00	301.63	...	301.63	663.10	...	663.10
4.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	248.00	...	248.00	192.53	...	192.53	290.90	...	290.90

जोड़	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
		4944.95	...	4944.95	5915.00	...	5915.00	5012.00	...	5012.00	6625.00	...	6625.00

1. **सचिवालय:** 1. सचिवालय :- इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विभागों के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है

2. **विवेकाधीन अनुदान:** 2. विवेकाधीन अनुदान : विवेकाधीन अनुदान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा पात्र संगठनों और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम कर रही पात्र संस्थाओं तथा जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए स्वीकृत किया जाता है।

3. **अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता:** 3. अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता : इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए संगत विकास कार्यक्रमों पर बल देना है। उन 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है जो अनुसूचित जाति घटक योजना तैयार कर रहे हैं और उन्हें क्रियान्वित कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के युवकों को ऊंची आय वाले सृजनकारी कार्य कलाओं में अपनी क्षमता और उत्कृष्टता सिद्ध करने के अधिक क्षेत्र खोलने, नए उभरते हुए क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर विशेष केन्द्रीय सहायता की स्कीम के विद्यमान प्रारूप में बल देना रहा है।

4. **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:** 4. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना : इस स्कीम का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जाति छात्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकें। इस स्कीम में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए उनकी प्रतिबद्ध देयताओं के अतिरिक्त, स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। पूर्वोत्तर राज्यों को प्रतिबद्ध देयता की अवधारणा से छूट प्राप्त है। इस स्कीम को हाल ही में संशोधित किया गया है। संशोधन जो 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी हुआ था, में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :- (1) मौजूदा 1 लाख रुपए की आय सीमा को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष बढ़ाना (2) भरण-पोषण और अन्य भत्तों की दरों में वृद्धि करना और (3) पाठ्यक्रमों का पुनर्समूहन।

5. **सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए तंत्र:** 5. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए तंत्र : सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए वचनबद्ध देयता के अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को व्यय के 50 प्रतिशत के आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह सहायता मुख्यतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठों और विशेष पुलिस थानों के कार्यकरण और उन्हें सुदृढ़ करने, अनन्य विशेष अदालतों के गठन और कार्यकरण, अंतर-जातीय विवाहों के लिए नकद पुरस्कारों, अत्याचार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास, जागरुकता सृजन के लिए प्रदान की जाती है।

6. **बालिका छात्रावास:** 6. बालिका छात्रावास : राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों और केन्द्रीय व राज्यों के विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को नए निर्माण करने और विद्यमान छात्रावास भवनों के विस्तार हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। गैर-सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र में मानद विश्वविद्यालयों को उनके विद्यमान छात्रावासों के सिर्फ विस्तार के लिए अनुमानित लागत की 90 प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

7. **बालकों के लिए छात्रावास:** 7. बालकों के लिए छात्रावास : अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए, जो मिडिल तथा उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, छात्रावासों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता राज्यों को 50:50 के आधार पर/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100 प्रतिशत, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 90 प्रतिशत और अन्य विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत प्रदान की जाती है।

8. **अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** 8. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति : इस स्कीम का उद्देश्य अस्वच्छ व्यवसायों जैसे मैला ढोने, चमड़ा उतारने, चर्म-शोधन इत्यादि में लगे व्यक्तियों के बच्चों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संबंधित प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के अंतर्गत कोई आय सीमा नहीं है।

9. **अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** 9. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति : अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक-पूर्व स्तर पर पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करना अनिवार्य है ताकि वे मैट्रिकोत्तर स्तर पर आगे बढ़ सकें। इसलिए इस योजना के अंतर्गत 2012-13 में 9वीं और 10वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को शामिल करते हुए, अनुसूचित जातियों के सभी बच्चों के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना आरम्भ की जाती है।

10. **अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता:** 10. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता : इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रयत्नों में लगे सक्षम और विश्वसनीय स्वैच्छिक संगठनों की सेवाओं का उपयोग करना है। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को सामान्य/तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा की सुविधाएं जिनमें विद्यालय-पूर्व शिक्षा, सेवा कार्यक्रम जैसे स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेंसरियों और आय सृजक कार्यक्रम जैसे अनेक वाणिज्यिक कारोबारों में तकनीकी प्रशिक्षण जैसे कार्यों के लिए प्रत्येक परियोजना की लागत के 90 प्रतिशत तक सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

11. **राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:** 11. राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति: यह योजना अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए एम.फिल/पी.एच.डी. पाठ्यक्रमों का उच्च स्तरीय अध्ययन करने, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं और वैज्ञानिक संस्थाओं में समकक्ष अनुसंधान उपाधि के लिए 2005-06 में शुरु की गई थी। यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

12. **मेधावी छात्रों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा:** 12. मेधावी छात्रों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा : इस स्कीम के अंतर्गत, उत्कृष्ट संस्थानों की एक लघु सूची अधिसूचित की गई और इनमें से किसी भी संस्थान में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को बड़ी छात्रवृत्ति दी जाती है। इससे उनकी ट्यूशन फीस, जीवन-निर्वाह-खर्च, पुस्तकों और कंप्यूटर संबंधी जरूरतें पूरी होंगी।

13. **सफाई कर्मचारियों (स्कैवेंजर्स) के पुनर्वास की स्व-रोजगार योजना:** 13. सफाई कर्मचारियों (स्कैवेंजर्स) के पुनर्वास की स्व-रोजगार योजना : इस स्कीम के उद्देश्य शेष स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितों का एक समयबद्ध रीति से पुनर्वास करना है। स्कीम के तहत, लाभार्थियों को लाभदायक स्व/मजदूरी रोजगार के लिए ऋण, सब्सिडी और प्रशिक्षण प्रदान करना है।

14. **प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना:** 14. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना : इस योजना की घोषणा बजट भाषण 2009-10 में 50 प्रतिशत से अधिक की अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 1000 गांवों को कवर करने के लिए प्रायोगिक आधार पर की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत, 1000 अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों का समेकित विकास सभी संगत केन्द्रीय और राज्य स्कीमों को प्रमुखतः एक साथ मिलाकर कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। चिन्हित गांवों की अधिकतम आवश्यकताएं मिलाकर कार्यान्वयन से पूरी नहीं की जा सकती है, इसलिए 20 लाख रुपए राशि प्रति गांव, राज्य सरकार के सम्भावित समान अंशदान के साथ इस स्कीम के तहत अन्तर-पूर्ति केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।

इस योजना को प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का आगे विस्तार इसके मूल्यांकन के बाद किया जाएगा।

15. **अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम:** 15. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम : इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अखिल भारतीय अथवा अंतर राज्यिक स्वरूप की, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता उन्नयन, अम्बेडकर प्रतिष्ठान, डा वी आर अम्बेडकर राष्ट्रीय केन्द्र अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग पर होने वाले स्थापना व्यय को पूरा करने की सहायता परियोजनाएं आती हैं। इस प्रावधान में एक नई योजना डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक का विकास भी शामिल है

16. **अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** 16. अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति : इस केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत, पिछड़े वर्गों के उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्त्रियों से कुल आय 44,500 रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होती है। इस योजना के अंतर्गत, संबंधित राज्य की वचनबद्ध देयता के अतिरिक्त राज्य सरकारों को 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता और संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

17. **अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:** 17. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना : इस योजना का उद्देश्य पीएचडी डिग्री सहित मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देना है जिससे कि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। इस प्रयोजनार्थ संबंधित राज्य की प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह योजना निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तनों के साथ 1.7.2011 से संशोधित कर दी गई है अर्थात् :-

1) पात्रता के लिए मौजूदा पैतृक आय सीमा को 44,500 रुपए से बढ़ाकर 1.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है।

2) अन्य पिछड़े वर्ग विद्यार्थियों के भरण-पोषण और अन्य भत्तों में बढ़ोत्तरी।

3) पाठ्यक्रमों का पांच समूहों से चार समूहों में पुनःसमूहन जैसाकि पीएमएस-एससी की योजना में किया गया है।

18. **अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण:** 18. अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण : इस योजना का उद्देश्य, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा अवसर प्रदान करना है। इस योजना को 2010-11 में संशोधित कर दिया गया है और संशोधित योजना के अंतर्गत, पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लिए केन्द्रीय सहायता को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है। तथापि, अन्य राज्यों के मामले में केन्द्रीय सहायता लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी जबकि संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय संस्थाओं के मामले में, 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। गैर-सरकारी संगठनों के मामले में, वित्तपोषण प्रतिमान केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों प्रत्येक द्वारा 45 प्रतिशत तथा शेष 10 प्रतिशत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा होगी।

19. **अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:** 19. अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति : अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उपयुक्त रोजगार हेतु सक्षम बनाने के लिए उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इस योजना को अनुसूचित जातियों की योजना की तर्ज पर आरम्भ किए जाने प्रस्ताव है।

20. **अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अन्य कार्यक्रम:** 20. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अन्य कार्यक्रम : इस प्रावधान में, अन्य पिछड़े वर्गों की शैक्षिक एवं सामाजिक आर्थिक दशा सुधारने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, कुल अनुमोदित व्यय का 90 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा शेष 10 प्रतिशत स्वयंसेवी संगठनों द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रावधान के अंतर्गत, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और विमुक्त और घुमन्तू जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक विकास की एक नई योजना का स्थापना व्यय भी आता है।

21. **अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए साझा कार्यक्रम:** 21. अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए साझा कार्यक्रम : इस प्रावधान में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निशुल्क कोचिंग योजना

कवर की जाती है। यह योजना अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के नौकरी तलाश करने वाले संभावित व्यक्तियों की आवश्यकताओं को, परीक्षा से पूर्व विशेष कोचिंग दिलाकर, पूरा करने के लिए बनायी गई है जिससे कि इन श्रेणियों के विद्यार्थी सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। यह योजना प्रतिष्ठित संस्थानों/केन्द्रों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत कोचिंग कार्यक्रम के संचालन हेतु शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित केवल वही विद्यार्थी पात्र हैं जिनकी पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपए प्रति वर्ष तक है।

22. दीनदयालय विकलांगजन पुनर्वास योजना: 22. दीनदयालय विकलांगजन पुनर्वास योजना : इस योजना के अंतर्गत शिक्षा, प्रशिक्षण और अन्य सहबद्ध कार्यक्रमों के जरिए, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान मंजूर किए जाते हैं।

23. राष्ट्रीय अन्ध, बधिर, मानसिक विक्षिप्त और अस्थि विकलांग व्यक्ति संस्थान: 23. राष्ट्रीय अन्ध, बधिर, मानसिक विक्षिप्त और अस्थि विकलांग व्यक्ति संस्थान : अनेक कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की नीति के अनुरूप तथा विकलांग व्यक्तियों की बहु-आयामी समस्याओं के कारगर निदान की दृष्टि से, 7 संस्थान अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। ये संस्थान, विकलांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति का विकास करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं और विभिन्न अन्य पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ये संस्थान पंजीकृत समितियां हैं और केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित हैं। इसमें भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान संस्थान तथा प्रशिक्षण केंद्र हेतु प्रावधान भी शामिल है।

24. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक सामग्री और उपकरण: 24. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक सामग्री और उपकरण : इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को टिकाऊ, अत्याधुनिक, वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक और मानक सहायक सामग्री और उपकरण प्राप्त करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना है जो उनके विकलांगता के प्रभाव को कम करके उनकी शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को संवर्धन प्रदान कर सके तथा उनकी आर्थिक क्षमता में वृद्धि कर सके।

25. निशक्त व्यक्ति अधिनियम के क्रियान्वयन की योजनाएं: 25. निशक्त व्यक्ति अधिनियम के क्रियान्वयन की योजनाएं : इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विभिन्न निकायों और स्वायत्तशासी निकायों और विश्वविद्यालयों को निशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के उपबंधों के कार्यान्वयन, विशेषरूप से पुनर्वास और बाधरहित की पहंच की व्यवस्था करने से संबंधित कार्यक्रमों को सहयोग देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस मंत्रालय द्वारा स्थापित जिला विकलांगजन पुनर्वास केन्द्रों और संघटक पुनर्वास केन्द्रों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। बाधरहित पहंच जिसमें रैम्प, लिफ्ट, टेक्टाइल पाथ, विकलांगजन अनुकूल शौचालय, नवउत्पाद विकास, विकलांगजन अनुकूल वेबसाइट का सृजन और अनुसंधान शामिल हैं, सहित व्यापक कार्यक्रमों के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। महत्वपूर्ण कार्यालय भवनों और सरकारी वेबसाइटों को विकलांगजन अनुकूल बनाने पर जोर दिया जाता है।

26. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार संबंधी योजना: 26. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार संबंधी योजना : इस योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए प्रतिमाह वेतन पाने वाले विकलांग व्यक्तियों के नियोक्ताओं को

प्रोत्साहन के रूप में पहले तीन वर्षों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के लिए नियोक्ता के अंशदान का भुगतान सरकार करेगी। 1.4.2008 को अथवा इसके बाद।

27. विकलांग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: 27. विकलांग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति :- योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत विकलांग विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

28. विकलांगों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम: 28. विकलांगों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम : इसमें भारतीय पुनर्वास परिषद, मेरुदण्ड क्षति केन्द्र, मुख्य आयुक्त (निशक्तता) का कार्यालय, भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, विकलांग व्यक्तियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा डिजाइन एवं बाधामुक्त वातावरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान/केन्द्र की स्थापना प्रावधान शामिल है। इस प्रावधान में विकलांगजन हेतु उच्च श्रेणी शिक्षा और विकलांगजन हेतु राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना और वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित नई योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल है।

29. द्विपक्षीय करारों के तहत द्रव्य सहायता संबंधी संवितरण व्यय: 29. द्विपक्षीय करारों के तहत द्रव्य सहायता संबंधी संवितरण व्यय : द्विपक्षीय करारों के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त उपहार प्रेषणों से संबंधित परिवहन तथा आनुषंगिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान है। करारों में गरीब और जरूरतमंद लोगों के सहायतार्थ और उन्हें राहत देने के लिए उनके पुनर्वास के लिए इस मंत्रालय में पंजीकृत प्राप्तकर्ता स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से दान स्वरूप दी गई आपूर्तियों को भारत में निशुल्क लाने की अभिकल्पना की गई है।

30. नशीली दवा दुरुपयोग मद्यपान और निवारण के लिए सहायता: 30. नशीली दवा दुरुपयोग मद्यपान और निवारण के लिए सहायता : यह योजना स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से व्यसनियों की पहचान करने, उन्हें परामर्श देने और उनका पुनर्वास करने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत स्वयंसेवी संगठनों को कुल अनुमोदित व्यय के 90 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम व जम्मू और कश्मीर के मामले में यह कुल स्वीकार्य व्यय का 95 प्रतिशत है।

31. वृद्धाश्रमों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता: 31. वृद्धाश्रमों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता: इस योजना में दिवा परिचर्या केन्द्रों, वृद्धाश्रमों, चलती-फिरती चिकित्सा यूनिटों की स्थापना आदि के संचालन और रखरखाव के लिए 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता का प्रावधान है। यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से संशोधित की गई है। वित्तीय सहायता में बढ़ोत्तरी करने के अलावा, इस योजना में अनेक नई परियोजनाएं शामिल की गई हैं, जैसे विश्राम गृह और सतत देखरेख आवास, वृद्धों के लिए बहु-सेवा केन्द्र चलाना, अल्जाइमर/मनोभ्रंश रोगियों के लिए दिवा देखभाल केन्द्र चलाना, वृद्धों के लिए – जियोथेरेपी क्लिनिक और वृद्ध लोगों को विकलांगता संबंधी और श्रवण यंत्र देना, उनके लिए हेल्प-लाइन और परामर्शी केन्द्र इत्यादि।

32. निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों का निर्माण: 32. निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों का निर्माण : वर्ष 2013-14 के लिए इस योजना हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

33. **अन्य कार्यक्रम:** 33. अन्य कार्यक्रम : इसमें राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, अनुसंधान अध्ययन और अनुसंधान प्रकाशनों, समाज रक्षा सेवाएं प्रदान करने से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, सूचना और जन शिक्षा प्रकोष्ठ से संबंधित और अनुसंधान एवं प्रशिक्षण व्यय के लिए प्रावधान शामिल है। इस प्रावधान में राज्य और जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति के माध्यम से मंत्रालय की अनुश्रवण योजनाओं की नई योजना और वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित नई योजनाओं के लिए प्रावधान भी शामिल है।

34. **सरकारी उद्यमों में निवेश:** 34. सरकारी उद्यमों में निवेश : वजतीय सहायता माध्यम से इक्विटी का ब्यौरा व्यय बजट (खण्ड-1) में दिया गया है। इसमें निम्नलिखित के लिए अंश पूंजी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है

- 1) राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम
- 2) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम
- 3) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम
- 4) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, और
- 5) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम।

35. **पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान:** 35. पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान : यह प्रावधान, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।